

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2066/2024

Om Prakash Dhakar Son Of Bholaram Dhakar

-----Petitioner

Versus

Rupendra Sharma Son Of Kedarlal Sharma

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Amir Aziz, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

02/05/2025

इस प्रकरण में दण्डादेश स्थगित नहीं है, अतः अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दण्डादेश भुगतान हेतु की गयी कार्यवाही के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट विचारण न्यायालय से प्राप्त की जावे। विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो वह अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

प्रकरण छः सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

In Criminal Misc. (SOS) Application No. 581/2024

प्रार्थी-याची को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा की गयी है, परन्तु उसके बावजूद अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं करते हुए यह सजा स्थगन आवेदन पेश किया है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त के आचरण तथा राजस्थान उच्च न्यायालय नियम-1952 के नियम 323 के प्रावधानों को देखते हुए यह सजा स्थगन आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J